परिशिष्ट-1

किसान मित्र प्रश्न क्रमांक 5494 संबंधित के प्रश्नांश क की जानकारी

चयन प्रक्रिया:—

Farmer Friend (कृषक मित्र) का चयन निम्न मापदंड के अनुरूप किया जायेगा:—

1. प्रत्येक 2 आबाद ग्राम (Census Villages) पर एक कृषक का चयन "कृषक मित्र" के रूप में किया जावेगा। प्रत्येक गांव के तीन कृषकों के नाम ग्राम सभा से अनुमोदित करोया जाकर जिला स्तर पर प्रत्येक दो आबाद ग्राम पर एक किसान मित्र को आत्मा गवर्निंगबोर्ड से अनुमोदन उनपरांत चयन प्रक्रिया पूर्ण करावें। इस प्रकार प्रदेश मे 26000 कृषक मित्र चयनित किए जावेंगे।
2. उन्नत शील कृषक, अच्छी नेतृत्व क्षमता, अच्छा तकनीकि ज्ञानधारी, कृषक जो, "Bottom up Planning" में अहम् भूमिका निभा सके तथा विस्तार तंत्र एवं कृषकों के बीच एक महत्वपूर्ण कडी का कार्य करने में सक्षम हो, को प्राथमिकता दी जावे।
3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं Block Technology Manager द्वारा ग्राम पंचायत के अनुमोदन तथा उक्त पंचायत क्षेत्र में संचालित कृषक रूचि समूह (Farmer Interest Group), खाद्य सुरक्षा समूह (FSG), कमोडिटी इन्ट्रेस्ट ग्रुप (CIG) चर्चा कर कृषक का चयन कर उसे कृषक मित्र के रूप में चिंहित किया जावे।
4. कृषक मित्र के चयन में कम से कम 30 प्रतिशत महिला कृषकों को स्थान दिया जावे।
5. कृषक मित्र सिनियर हायर सेकण्डरी/हाईस्कूल पास हो इस योग्यता के अनुरूप यदि कृषक उपलब्ध नही होने पर, आठवीं कक्षा पास उन्नतशील कृषक का चयन किया जा सकता है, जिसकी मौखिक एवं लिखने की सम्प्रेशन क्षमता हो।
6. फार्म स्कूल अथवा अन्य आत्मा गतिविधियों का Achiever Farmer हो।
7. बी.एस.सी (कृषि) उतीर्ण एवं ग्राम में निवासरत कृषक को सर्वोच्च्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।
8. पूर्व में चयनित किसान मित्र–किसान दीदी जो उपरोक्त अर्हता रखते हैं तथा जिनका कार्य उत्कृष्ट हो, को चयन में प्राथमिकता दी जाये।

कृषक मित्र के कर्तव्य/जिम्मेदारियां:—

1 कृषक रूचि समूह (Farmer interest group-FIG), कृषक रूचि समूह (Farmer Interest Group), खाद्य सुरक्षा समूह (FSG), कमोडिटी इन्ट्रेस्ट ग्रुप (CIG)का गठन करना।

2 क्षेत्रीयस्तर पर प्रदर्शन, किसान गोष्ठीयों के आयोजन और ग्रामीण प्रसार अनुसंधान मे सहयोग करना।

3 विकास खण्ड विस्तार कार्य योजना तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।

4 ग्रामों मे तकनीकि समस्याओं, बाधाओ को चिन्हांकित कर विस्तार कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराना साथ ही ग्रामीण स्तर पर कृषि एवं संबधित विभागों की गतिविधियों के हस्तान्तरण के लिये विकासखण्ड स्तरीय (तकनीकि समूह, कृषक सलाहकार

समिति सदस्यों) ब्लॉक टैक्नालोजी मैनेजर/सहायक टैक्नालाजी मैनेजर एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से नियमित सम्पर्क बनाये रखना।

5 ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/विकाखण्ड स्तरीय की बैठकों में भाग लेना।

6 किये गये कार्यो की दैनंदिनी का संधारण करना।

7 क्षेत्र में संचालित फार्म स्कूल की पूर्ण जानकारी रखना तथा उनकी कक्षाओं में शामिल होना।

8 मल्टी मीडियां के माध्यम से सूचनाओं का प्रसारण सुनिश्चित करना।

9 विकासखण्ड तकनीकि टीम/कृषक सलाहकार समिति/ब्लॉक टैक्नालाजी मैनेजर/सहायक टैक्नालाजी मैनेजर एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा समय–समय पर सौपे गये कार्य करना।

उप संचालक सह
परियोजना संचालक (आत्मा)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला पन्ना

परिशिष्ट 1 मे कुल 2 पृष्ठ है।

सहायक संचालक
संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र. भोपाल

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन
कृषि विभाग [शाखा - 2].